न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 931/2024
अनवान : –

1. रोशनी पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. आरजु नाबालिग पुत्री राजेन्द्र जरिये दादी हुकमा देवी पत्नी मंगतुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।
2. कोमल नाबालिग पुत्री राजेन्द्र जरिये दादी हुकमा देवी पत्नी मंगतुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 154/157 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.4080 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 1 के व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीया के पति व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 के पिता राजेन्द्र पुत्र मंगतुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वाद वादीया ने अपने देवर चरणसिंह पुत्र मंगतुराम के साथ करेवा कर लिया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का लालन–पालन, पढ़ाई लिखाई आदि समस्त कार्य वादीया व उसका पति चरणसिंह ही करते है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पिता के नाम की जगह राजेन्द्र की बजाये चरणसिंह दर्ज है तथा वादीया के आधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में पति का नाम राजेन्द्र की बजाये चरणसिंह दर्ज है। प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 ता 2 को [illegible] कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिका[illegible] कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible] पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। वादीया के पति व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 के पिता राजेन्द्र पुत्र मंगतुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वाद वादीया ने अपने देवर चरणसिंह पुत्र मंगतुराम के साथ करेवा कर लिया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का लालन–पालन, पढ़ाई लिखाई आदि समस्त कार्य वादीया व उसका पति चरणसिंह ही करते है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पिता के नाम की जगह राजेन्द्र की बजाये चरणसिंह दर्ज है तथा वादीया के आधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में पति का नाम राजेन्द्र की बजाये चरणसिंह दर्ज है। प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस प[illegible]किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद [illegible] रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता [illegible]ख्या 154/157 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.4080 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 1 के व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि वादीया के पति

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजेन्द्र के देहांत के बाद वादीया ने अपने देवर मंगतुराम से करेवा कर लिया है। वादीया के आधार कार्ड आदि में वादीया के पति का नाम मंगतुराम दर्ज है तथा वादीया का यह भी कथन है कि उक्त वाद भूमि राजेन्द्र की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज हुई है लेकिन वर्तमान में चरणसिंह द्वारा ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का लालन पालन किया जा रहा है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के आधार कार्ड पेश किये गये जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की वल्दियत में नाम चरणसिंह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया काबिज है। वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 154/157 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.4080 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी भूमि में वादीया के पहले से 1/12 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम रोशनी पत्नी राजेन्द्र की बजाये रोशनी पत्नी चरणसिंह का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 931/2024

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी चरणसिंह जातिं जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. आरजु नाबालिग पुत्री राजेन्द्र जरिये दादी हुकमा देवी पत्नी मंगतुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।
2. कोमल नाबालिग पुत्री राजेन्द्र जरिये दादी हुकमा देवी पत्नी मंगतुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 931 सन 2024 निर्णय दिनांक – 29/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 154/157 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.4080 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का नाम कलमज़न किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी भूमि में वादीया के पहले से 1/12 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम रोशनी पत्नी राजेन्द्र की बजाये रोशनी पत्नी चरणसिंह का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested